संख्या-968/2018/1890/22-2-2018-17(535)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फतेहयाब उर्फ पल्टू पुत्र श्री मंगत, निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-दया0 **(**दिनांक 07.08.2018**)** दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी फतेहयाब उर्फ पल्टू पुत्र श्री मंगत, जो मानकमऊ, थाना-कुतुबशेर, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा अपहरण को लेकर दिनांक 25.12.2007 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल व बन्दूक से फायर करके 01 लडके की हत्या कारित की । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-414/2008 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 364/34, 201 व 25/4 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 18.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.06.2018 तक 10 वर्ष 05 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष 08 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा किया गया अपराध सघन श्रेणी में होने**,** भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने**,** समयपूर्व रिहाई हेतु प्रयोजन ठीक न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। समिति द्वारा बंदी द्वारा काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी फतेहयाब उर्फ पल्टू (बन्दी संख्या-8808/2010) पुत्र श्री मंगत, निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-968/2018/1890(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in